



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226149
CG-DL-E-26032021-226149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1239]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1343(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NH148N के कि.मी. 170.8 से कि.मी. 210 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, रामगढ पंचवारा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (आठ लेन पहुँच नियंत्रित राजमार्ग आदि का निर्माण....), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पंचवारा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NH148N के कि.मी. 170.8 से कि.मी. 210 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, रामगढ़ पंचवारा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: दौसा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रामगढ़ पंचवारा					
गांव का नाम: अमराबाद					
1	186	निजी	चाही 2	0.8619000(हेक्टेयर)	0.8619000
2	187	निजी	बारानी 3	0.0816000(हेक्टेयर)	0.0816000
गांव का नाम: बीड़ोली					
1	46	निजी	बारानी 1	1.4401000(हेक्टेयर)	1.4401000
गांव का नाम: चक्रपातलवास					
1	2	निजी	बारानी 1	0.4340000(हेक्टेयर)	0.4340000
गांव का नाम: डूंगरपुर					
1	7	निजी	चाही.ए	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: कुन्तलवास					
1	385/207	निजी	खतली	0.2276000(हेक्टेयर)	0.2276000
2	452/287	निजी	बारानी 1	0.2023000(हेक्टेयर)	0.2023000
गांव का नाम: राहूवास					
1	210	निजी	बारानी 2	0.0349000(हेक्टेयर)	0.0349000
2	227	निजी	बारानी 2	0.0569000(हेक्टेयर)	0.0569000
3	281	निजी	बारानी 1	0.1941000(हेक्टेयर)	0.1941000
4	283	निजी	बारानी 1	0.0279000(हेक्टेयर)	0.0279000
5	368/241	निजी	बारानी 1	0.1008000(हेक्टेयर)	0.1008000
6	369/241	निजी	बारानी 1	0.1793000(हेक्टेयर)	0.1793000

7	370/241	निजी	बारानी 1	0.0656000(हेक्टेयर)	0.0656000
8	371/241	निजी	बारानी 1	0.0880000(हेक्टेयर)	0.0880000
9	372/241	निजी	बारानी 1	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
10	387/280	निजी	बारानी 1	0.2220000(हेक्टेयर)	0.2220000
11	389/280	निजी	बारानी 1	0.1027000(हेक्टेयर)	0.1027000
गांव का नाम: श्रीया					
1	101/3	निजी	बारानी 3	0.7689000(हेक्टेयर)	0.7689000
कुल				5.1916	5.1916

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3a4/3A4]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1343(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Construction of eight lane access controlled highway etc...), maintenance, management and operation of NH148N in the stretch of land from Km. 170.8 to Km. 210 (SDO Office Ramgarh Pachwara) in the district of DAUSA in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer, Ramgarh Pachwara in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH148N in the stretch of land from Km. 170.86 to Km. 210 (SDO Office Ramgarh Pachwara) in the district of DAUSA in the State of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: DAUSA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ramgarh pachwara					
Village: Amrabad					
1	186	Private	Chahi-2	0.8619000(Hectare)	0.8619000
2	187	Private	Barani-3	0.0816000(Hectare)	0.0816000
Village: Bidoli					
1	46	Private	Barani-1	1.4401000(Hectare)	1.4401000
Village: Chak Patalwas					
1	2	Private	Barani-1	0.4340000(Hectare)	0.4340000
Village: Dungarpur					
1	7	Private	Chahi-A	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Kuntalwas					
1	385/207	Private	Khaatli	0.2276000(Hectare)	0.2276000
2	452/287	Private	Barani-1	0.2023000(Hectare)	0.2023000
Village: Rahuwas					
1	210	Private	Barani-2	0.0349000(Hectare)	0.0349000
2	227	Private	Barani-2	0.0569000(Hectare)	0.0569000
3	281	Private	Barani-1	0.1941000(Hectare)	0.1941000
4	283	Private	Barani-1	0.0279000(Hectare)	0.0279000
5	368/241	Private	Barani-1	0.1008000(Hectare)	0.1008000
6	369/241	Private	Barani-1	0.1793000(Hectare)	0.1793000
7	370/241	Private	Barani-1	0.0656000(Hectare)	0.0656000
8	371/241	Private	Barani-1	0.0880000(Hectare)	0.0880000
9	372/241	Private	Barani-1	0.0330000(Hectare)	0.0330000
10	387/280	Private	Barani-1	0.2220000(Hectare)	0.2220000
11	389/280	Private	Barani-1	0.1027000(Hectare)	0.1027000
Village: Shriya					
1	101/3	Private	Barani-3	0.7689000(Hectare)	0.7689000
Total				5.1916	5.1916

[F. No NHA/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3a4/3A4]

RAJESH GUPTA, Director